

तारीख हुकम

11/11/25

पत्रावली पेश है। वकील परबखान् उपर  
 पत्रावली वर्ष 2023 से जवाब-उल-  
 जवाब एवं संशोधित शीर्षक के अधार  
 में लंबित चली आ रही है। अधिवक्ता  
 वही को मोहब्द कराया जावे।  
 अधिवक्ता वही आगामी पेशी पर  
 जवाब-उल-जवाब एवं संशोधित  
 शीर्षक आवश्यक रूप से पेश करे।  
 अन्यथा अग्रिम कार्यायी अमल में  
 लडि जावेगी। पत्रावली दिनांक 01/12/25  
 को पेश है।

*(Signature)*

3/12/25

पत्रावली पेश है। अधिवक्ता वही को  
 जवाब-उल-जवाब एवं संशोधित शीर्षक  
 पेश किये जाने हेतु प्रमति अवसर  
 दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक  
 जवाब-उल-जवाब एवं संशोधित  
 शीर्षक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः  
 पत्रावली जवाब-उल-जवाब एवं संशोधित  
 शीर्षक के अधार में बली स्वर पर  
 खरीय की जाती है। पत्रावली  
 नम्बर से कम की जाकर दाखिल  
 किया जावेगा।

सहायक कलेक्टर  
 इटावा जिला कोटा (राज.)